रजिस्ट्रीकरण सं. डी. एल.—33004/96 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 649] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 1996/कार्तिक 8, 1918
No. 649] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 1996/KARTIKA 17, 1918

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 1996

का०आ० 780(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

"आदेश

जून, 1987 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचनों में 67-तोशाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री धर्मवीर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निर्वाचित अभ्यर्थी" कहा गया है) के निर्वाचन को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 123 के खंड (2) और खंड (7) में विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था;

निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई और उस न्यायालय ने तारीख 25-7-1989 के अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के तारीख 2-6-1989 के आदेश पर सशर्त रोक लगा दी थी;

और उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6-2-96 के अपने अंतिम आदेश द्वारा अपील को खारिज कर दिया और यह अभिनिर्धारित किया था कि उक्त अधिनियम की धारा 123 के खंड (2) और खंड (7) इस मामले में लागू नहीं होते।

और हरियाणा विधान सभा के सचिव ने इस प्रश्न के अवधारण के लिए कि क्या श्री धर्मवीर को निरर्हित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो किसी अवधि के लिए, श्री धर्मवीर का मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया;

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि (उपाबंध देखें) यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री धर्मवीर

को धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा आचरण का दोषी पाया गया है क्योंकि धारा 123 में परिभाषित किसी भी भ्रष्ट आचरण का उसके द्वारा किया जाना नहीं कहा जा सकता है;

और निर्वाचन आयोग ने यह भी राय दी है कि कि श्री धर्मबीर का मामला उक्त अधिनियम की धारा 8क की परिधि में नहीं आता है। परिणामस्वरूप श्री धर्मबीर को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क के अधीन निरर्हित नहीं किया जा सकता है।

अतः यह मामला निपटा दिया गया है।

दिनांक 28 अक्तूबर, 1996 भारत का राष्ट्रपति"

(उपाबन्ध)

भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

गणपूर्ति :

जी०वी०जी० कृष्णामूर्ति	टी०एन० शेषन	डा० एम०एस०
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन	गिल
	आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

1996 का निर्देश मामला सं० 3 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश)

सर्वबंधी : श्री धर्मबीर हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य की निरर्हता

राय

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1951-अधिनियम" कहा गया है) की धारा 8क (3) के अधीन राष्ट्रपति के इस निर्देश में इस प्रश्न पर कि क्या श्री धर्मबीर से, जो हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य हैं और 1987 में हुए साधारण निर्वाचन में उक्त विधान सभा के सदस्य के रूप में जिनका निर्वाचन, भ्रष्ट आचरण किए जाने के आधार पर अपास्त कर दिया गया था, को उक्त अधिनियम की धारा 8क(1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि किया जाना चाहिए तो कितनी अवधि के लिए, निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है।

2. संक्षिप्त रूप में कथित सुसंगत तथ्य निम्नलिखित हैं :—

(i) श्री धर्मबीर ने जून, 1987 में, 67-तोशाम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा का साधारण निर्वाचन लड़ा और उन्हें उक्त विधान सभा से निर्वाचित घोषित किया गया था।

(ii) उसके निर्वाचन को, निर्वाचन क्षेत्र के तीन निर्वाचकों द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1987 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 में चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 2-6-1989 के आदेश द्वारा श्री धर्मबीर को 1951-अधिनियम की धारा 123(2) और 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री धर्मबीर, मतगणना की प्रक्रिया के दौरान अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी श्री बंसी लाल के पक्ष में डाले गए मतपत्रों से छेड़छाड़ करने के द्वारा निर्वाचकों के निर्वाचन संबंधी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा डालने के कारण धारा 123(2) के अधीन असम्यक प्रभाव डालने का भ्रष्ट आचरण करने का दोषी थे। उच्च न्यायालय ने, उसे धारा 123(7) के अधीन निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर श्री एम० एल० मक्खण को, उसे अभित्रस्त करके, पीटकर और शारीरिक रूप से हमला करके और श्री बंसी लाल के पक्ष डाले गए मतपत्रों को, जिनसे उसके (श्री धर्मबीर) और उसके समर्थकों द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, अस्वीकृत करवाने के लिए उसे प्रेरित करने के द्वारा, सहायता प्राप्त करने /उपाप्त करने के भ्रष्ट आचरण का भी दोषी अभिनिर्धारित किया। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि श्री धर्मबीर को इसके आदेश की तारीख (2 जून, 1989) से छह वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से भी निरर्हित किया जाए।

(iii) अपील किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने 1989 की सिविल अपील सं० 2886 (एनसीई) में 25-7-1989 के अपनी अंतरिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर निम्नलिखित के अधीन रहते हुए रोक लगा दी :—

"श्री धर्मबीर, अपीलार्थी, जिसका निर्वाचन अपास्त कर दिया गया है, विधान सभा में मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। वह इस अपील के लंबित रहने के दौरान विधान सभा में चर्चा में भाग नहीं लेगा और विधान सभा के किसी सदस्य को संदेय परिलब्धियां नहीं लेगा। तथापि, वह विधान सभा में अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर करने का हकदार होगा।"

(iv) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 6-2-1996 के अंतिम आदेश द्वारा श्री धर्मबीर की अपील को खारिज कर दिया। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज करते समय, उच्च न्यायालय के आदेश के उस भाग को अपास्त कर दिया, जिसमें न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि श्री धर्मबीर को भावी निर्वाचनों को लड़ने से छह वर्ष के लिए निरर्हित किया गया। उच्चतम न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि निरर्हता के अवधारणा से संबंधित प्रश्न 1951-अधिनियम की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति के पास छोड़ा गया था और उच्च न्यायालय का इस विषय में

निर्णय सुनाना न्यायोचित नहीं था। न्यायालय ने यह और भी अभिनिर्धारित किया कि उक्त अधिनियम की धारा 123(2) और 123(7) इस मामले में लागू नहीं होती थी। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने श्री धर्मवीर को भ्रष्ट आचारण का दोषी पाया और यह अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने श्री धर्मवीर के निर्वाचन को सही रूप में शून्य और अपास्त किए जाने योग्य घोषित किया था।

(x) तदुपरांत, हरियाणा विधान सभा के सचिव ने 1951-अधिनियम की धारा 8क(1) के निबंधनों के अनुसार श्री धर्मवीर के मामले को तारीख 19-3-1996 को राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया और राष्ट्रपति ने उसकी धारा 8क(3) के अधीन आयोग की राय मांगी है।

3. आयोग ने, ऐसे सभी मामलों में अपनी परिपाटी को ध्यान में रखते हुए, इस विषय में अपनी राय बनाने से पहले श्री धर्मवीर को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। तदनुसार तारीख 29-3-1996 को एक सुनवाई की गई थी। उस सुनवाई पर, विद्वान ज्येष्ठ काउंसेल श्री कपिल सिबल द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया गया था। श्री धर्मवीर ने तारीख 27-3-1996 को अपना लिखित कथन भी फाइल किया था।

विद्वान ज्येष्ठ काउंसेल श्री कपिल सिबल ने यह निवेदन किया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने श्री धर्मवीर को 1951-अधिनियम की धारा 123(2) और धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया था। लेकिन, उसने ध्यान दिलाया कि उच्चतम न्यायालय ने तारीख 6-2-1996 के अपने अंतिम आदेश में स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया था कि श्री धर्मवीर के इस मामले में धारा 123(2) और धारा 123(7) लागू नहीं होती थी। उसने यह प्रतिवाद किया कि उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारण करके कि 1951-अधिनियम की धारा 123(2) और धारा 123(7) इस मामले में लागू नहीं होती, उच्च न्यायालय के उन निष्कर्षों को जहां तक उसका संबंध श्री धर्मवीर द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 123(2) और धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण किए जाने से है, स्पष्ट रूप से अपास्त कर दिया है। उसने इस मामले में, उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निष्कर्ष को निर्दिष्ट किया है :—

"हम यह भी अभिनिर्धारित करते है कि निर्वाचन के परिणाम, जहां तक इसका संबंध अपीलार्थी (श्री धर्मवीर) से है, अधिनियम की धारा 100(1) (घ) को आकर्षित करते हुए चौथे प्रत्यर्थी कांग्रेस के अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की अनुचित अस्वीकृति द्वारा तात्विक रूप से प्रभावित किया गया है। यह अभिनिर्धारण करना उपयुक्त है कि अपीलार्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा सही रूप से अभिनिर्धारित किया गया, भ्रष्ट आचरण का दोषी रहा है। इन परिस्थितियों में, निर्वाचित अभ्यर्थी, अपीलार्थी का निर्वाचन, शून्य किया जाना और अपास्त किए जाने के लिए दायी होना सही अभिनिर्धारित किया गया था। इस विषय पर हम उच्च न्यायालय के निर्णय को मान्य ठहराते हैं और अपील-सी०ए०सं० 2886 (एन०सी०ई०) 1989 को खारिज करते है, किन्तु एक भिन्न आधार पर।"।

श्री सिबल के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अपने उपरोक्त निष्कर्ष के द्वारा श्री धर्मवीर के निर्वाचन को 1951-अधिनियम की धारा 100(1)(घ) के अधीन शून्य घोषित किया था, लेकिन उसे अधिनियम की धारा 99 के अर्थ के भीतर भ्रष्ट आचरण का दोषी नहीं पाया था। विधि के इस प्रतिपादन के कारण, उन्होंने एस०बी० आदित्यन बनाम एस० कन्द्रास्वामी (ए०आई०आर० 1958 एस०सी० 857) के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय पर निर्भर किया।

7. श्री कपिल सिबल ने आयोग को यह जानकारी भी दी कि श्री धर्मवीर ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष उसके तारीख 06-02-1996 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध एक पुनर्विलोकन याचिका फाइल की थी और यह कि उक्त पुनर्विलोकन याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी। श्री धर्मवीर ने इस तथ्य का अपने लिखित कथन में भी उल्लेख किया था।

8. उच्चतम न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका, जिसका आयोग के समक्ष विद्यमान निर्देश से महत्वपूर्ण संबंध हो सकता है के लंबित होने को ध्यान में रहते हुए, आयोग ने, उक्त पुनर्विलोकन याचिका पर उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की प्रतीक्षा करने का विनिश्चय किया। अब, उच्चतम न्यायालय ने आयोग को तारीख 07/08-05-1996 के अपने पत्र सं० 1208/96/बेंड—xvii, द्वारा सूचित किया है कि श्री धर्मवीर की उपरोक्त पुनर्विलोकन याचिका न्यायालय द्वारा तारीख 24-04-1996 को खारिज कर दी गई है।

9. श्री धर्मवीर की पुनर्विलोकन याचिका के खारिज होने पर, अब आयोग को श्री कपिल सिबल के उपरोल्लिखित निवेदनों और प्रति विरोधों पर विचार करना है और उनकी जांच करनी है।

10. 1951-अधिनियम की धारा 8-क(1) यह उपबंध करती है कि :—

"धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति का मामला इस प्रश्न का अवधारणा करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए।"।

राष्ट्रपति धारा, 8क(3) के अधीन, ऐसे प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय प्राप्त करेगा और ऐसी राय के अनुसार

कार्य करेगा। इस प्रकार, 1951-अधिनियम की धारा 8क के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग को अधिकारिता-तभी उद्भूत होगी, यदि कोई व्यक्ति "धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है।" उच्चतम न्यायालय ने आदित्यन (ऊपर) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, जिस पर श्री सिबल अत्यधिक निर्भर रहे हैं, निम्नलिखित है:—

> "..... धारा 99 किसी भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करने के लिए तात्पर्यित नहीं है। भ्रष्ट आचरण की परिभाषा धारा 123 में आती है और धारा 99 में उल्लिखित भ्रष्ट आचरण इस प्रकार परिभाषित किया गया भ्रष्ट आचरण होगा (अभिव्यक्ति दी गई है) किसी अभ्यर्थी की सहमति से किया कोई भ्रष्ट आचरण अपने आप में भ्रष्ट आचरण की कोई नई किसम नहीं है। जब धारा 99 किसी अभ्यर्थी की सहमति में किए गए किसी भ्रष्ट आचरण के बारे में बताती है तो इससे धारा 123 में यथा परिभाषित किसी भ्रष्ट आचरण का किया जाना और किसी अभ्यर्थी के द्वारा इसे किए जाने के लिए सहमति का दिया जाना अभिप्रेत है।"

11. तब प्रश्न उठता है कि क्या श्री धर्मवीर द्वारा इस मामले में धारा 123 में यथापरिभाषित कोई ऐसा भ्रष्ट आचरण किया जाना कहा जा सकता है, ताकि उसे धारा 99 की सीमाओं में लाया जा सके। धारा 123 1951-अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण के रूप में कारण और लोप की त्रुटियों की दस किस्मों को परिभाषित करता है, अर्थात्, (i) रिश्वत [धारा 123(1)]; (ii) असम्यक् प्रभाव [धारा 123(2)], (iii) धर्म मूलवंश, आदि के आधार पर अपील, धारा 123(3); (iv) धर्म मूलवंश, आदि के आधारों पर भारतीय नागरिकों के दो विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावनाओं का संप्रवर्तन, [धारा 123(3क)]; (v) सती प्रथा का प्रचार करना उसे गौरवान्वित करना, [धारा 123(3ख)], (vi) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में मिथ्या कथन देना [धारा 123(4)]; (vii) मतदाताओं का निशुल्क प्रवहन [धारा 123(5)]; (viii) विहित सीमा से अधिक व्यय, उपगत करना या उसे प्राधिकृत करना [धारा 123(6)]; (ix) सरकारी सेवकों की सहायता अभिप्राप्त या उपास्त करना [धारा 123(7)] और (x) बूथ का बलात्ग्रहण [धारा 123(8)]।

12. यह कोई भी मामला नहीं है कि श्री धर्मवीर के धारा 123(1), धारा 123(3), धारा 123(3क), धारा 123(3ख), धारा 123(4), धारा 123(5), या धारा 123(6) के अधीन कोई भ्रष्ट आचरण किया है उच्च न्यायालय ने श्री धर्मवीर को धारा 123(2) और धारा 123(7) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि ये दोनों धाराएं श्री धर्मवीर के विद्यमान मामलों में लागू नहीं हो सकती है"। उच्चतम न्यायालय ने यह और भी अभिनिर्धारित किया कि धारा 123(8) विद्यमान मामले में लागू नहीं होती है, क्योंकि बूथ के बलात् ग्रहण के भ्रष्ट आचरण को परिभाषित करने वाली यह धारा तारीख 15-03-1989 से 1951-अधिनियम में अंतःस्थापित की गई थी, जबकि आक्षेपित निर्वाचन 1987 में हुआ था।

13. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री धर्मवीर को धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, क्योंकि धारा 123 में यथापरिभाषित भ्रष्ट आचरणों में से किसी को भी उसके द्वारा किया गया नहीं कहा जा सकता। एकमात्र तार्किक निष्कर्ष यह है कि श्री धर्मवीर का मामला 1951-अधिनियम की धारा 8क के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं आता है। परिणामस्वरूप, श्री धर्मवीर को 1951-अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरर्हित नहीं किया जा सकता है।

14. इस मामले से अलग होने से पूर्व, आयोग संपूर्ण कार्य पर अपना गहरा मनःस्ताप और अत्यन्त दुख अभिव्यक्त किये बिना नहीं रह सकता। आयोग ने श्री धर्मवीर को, अत्यन्त अवमान्य और निंदनीय कार्यों में लिप्त होने के लिए, जिसमें संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ध्वस्त किया है और निर्वाचन प्रक्रिया की उत्कृष्ट शुद्धता तथा पवित्रता को कलंकित किया है, कठोरतम दंड का दिया जाना पसंद किया होगा। उसे अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए था; और यह कम से कम छह वर्ष के लिए सभी निर्वाचनों को लड़ने के लिए पूर्णतया निरर्हित किए जाने के योग्य होना चाहिए। किन्तु यह अत्यन्त खेद का विषय है कि यह, विधि में तकनीकी दोष के कारण बच निकला है।

15. उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्णतया यह स्थापित और साबित कर दिया गया था कि श्री धर्मवीर ने अपने अभिकर्ताओं के साथ अपने मुख्य प्रतिद्वन्द्वी अभ्यर्थी के पक्ष में निहित मतपत्रों के साथ कपटपूर्वक छेड़खानी की जिससे कि ऐसी कपटपूर्वक छेड़खानों के लिए उन मतपत्रों को अस्वीकृत और निर्वाचन अधिमत को विकृत करवा दिया जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी स्थापित हो गया था कि उसने अपने अभिकर्ताओं के साथ रिटर्निंग आफिसर को धमकाया और यहां तक कि उस पर शारीरिक रूप से हमला भी किया तथा उसे उस सीमा तक अभित्रास किया कि वह (रिटर्निंग आफिसर) वैसा सब कुछ करने को सहमत हो गया जैसा कि पूर्व विधायक द्वारा कहा गया था मांग की गई। उच्चतम न्यायालय ने इस बिन्दु पर निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

> "उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर, हम यह, अभिनिर्धारित करते हैं कि निर्वाचन याचिका में यथाअभिकथित गुंडागिरी के विभिन्न कृत्यों और अन्य कपटपूर्ण जघन्य कृत्यों और क्रियाकलापों को अपीलार्थी के विरुद्ध याचियों द्वारा निर्वाचन याचिका में व्यापक रूप से सिद्ध कर दिया गया है। हम प्रतिकूल अभिनिर्धारण का खंडन करते हैं।"

यह पूर्णतः दुर्भाग्य है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कठोर अभ्यारोपण और दंड के बावजूद भी तत्समय प्रचलित विधि में, श्री धर्मवीर को, उच्चतम न्यायालय के शब्दों में गुंडागिरी के कृत्यों और अन्य कपटपूर्ण तथा जघन्य कृत्यों और क्रियाकलापों से उसको बच निकलने का मार्ग उपलब्ध कराया है।

16. आयोग ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि श्री धर्मवीर के विरुद्ध साबित कुकृत्य 1951—अधिनियम की धारा 123(8) और धारा 135(क) के अधीन अब दंडनीय है जिन्हें 15-3-1989 से कानूनी पुस्तक पर लिया गया है। किन्तु यह अपर्याप्त सान्त्वना है। यदि ये उपबंध 1987 में विद्यमान होते तो, आयोग श्री धर्मवीर पर विधि के अधीन अनुज्ञेय कठोरतम शास्तियां अधिरोपित करने में बिल्कुल संकोच नहीं करता।

17. इस तथ्य के होते हुए भी कि यह नहीं कहा जा सकता है कि श्री धर्मवीर ने 1951—अधिनियम की धारा 123 में यथापरिभाषित और उस अधिनियम की धारा 99 के अर्थ में कोई भ्रष्ट आचरण नहीं किया है, ऐसा कहने से कोई लाभ भी नहीं हो सकता है क्योंकि मतपत्रों के साथ कपटपूर्ण छेड़खानी करने से, जैसा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के समक्ष निश्चायक रूप से साबित और स्थापित किया गया है कि श्री धर्मवीर उक्त अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (1) के खंड (ग), (च) और (छ) के अधीन निर्वाचन अपराधों के करने में लिप्त थे। संदर्भ की सुविधा के लिए विधि, का ऊपर अभिलिखित उपबन्ध निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है :—

"136. अन्य अपराध और उनके लिए शास्तियां—

(1) यदि किसी निर्वाचन में कोई व्यक्ति:—

(ग) किसी मतपत्र या किसी मतपत्र के शासकीय चिह्न या अनन्यता की किसी घोषणा या शासकीय लिफाफे को, जो डाकपत्र द्वारा मत देने के संबंध में उपयोग में लाया गया है, कपटपूर्वक विरूपित करेगा या कपटपूर्वक नष्ट करेगा;.....,

(च) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी मतपेटी या मतपत्रों को, जो निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब उपयोग में है, नष्ट करेगा, लेगा, खोलेगा या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करेगा;.....और

(छ) यथास्थिति कपटपूर्वक, या सम्यक् प्राधिकार के बिना पूर्ववर्ती कार्यों में से कोई कार्य करने का प्रयत्न करेगा या किन्हीं ऐसे कार्यों के करने में जानबूझकर सहायता देगा या उन कार्यों का दुष्प्रेरण करेगा,

तो वह व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन अपराध का दोषी कोई व्यक्ति—

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति है तो, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा।

18. उपरोक्त के अलावा, श्री धर्मवीर को, रिटर्निंग आफिसर, लोक सेवक पर शारीरिक रूप से हमला करने तथा अभित्रास, प्रपीड़न आदि द्वारा उसके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबन्धों, अर्थात् धारा 182 (इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करें), धारा 186 (लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना), धारा 189 (लोक सेवक को क्षति पहुंचाने की धमकी), धारा 192 (मिथ्या साक्ष्य गढ़ना) आदि के अधीन आपराधिक अपराधों में लिप्त पाया गया।

19. आयोग ने जोरदार शब्दों में सिफारिश की कि श्री धर्मवीर के विरुद्ध, उपरोक्त निर्वाचन और दाण्डिक अपराधों के लिए, संबद्ध राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा तत्काल कार्रवाई आरंभ की जाए और उसके तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचा जाए ताकि यह अन्य व्यक्तियों के लिए कठोर भयोपरक के रूप में कार्य कर सके, जिनसे कि वे ऐसे जघन्य क्रियाकलापों में लिप्त न हों।

(जी०वी०जी कृष्णामूर्ति)	(टी०एन० शेषन)	(डा० एम०एस० गिल)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली
तारीख : 4 जून, 1996।

[फा० सं० 7/13/96-विधायी-II]
पी०एल० सकरवाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1996

S.O. 780(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

"ORDER"

Whereas the election of Shri Dharamvir, (hereinafter referred to as the returned candidate) a former member of the Haryana Legislative Assembly from 67-Tosham Assembly Constituency in the general election to the Haryana Legislative Assemby held in June, 1987 was set aside by the Punjab and Haryana High Court on the ground of commission of corrupt practices specified in Clauses (2) and (7) of Section 123 of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the said Act);

Whereas, an appeal was filed by the returned candidate before the Supreme Court and that Court by an interim order dated 25-7-1989 granted a conditional stay of the High Court's order dated 2-6-1989;

And, whereas, the Supreme Court dismissed the appeal by its final order dated 6-2-1996 and it held that clauses (2) and (7) of Section 123 of the said Act were not applicable in this case.

And, whereas, the Secretary to the Legislative Assembly of Haryana referred the case of Shri Dharamvir to the President for determination of the question as to whether Shri Dharamvir should be disqualified and if so, for what period.

And, whereas, the President has sought the opinion of the Election Commission in pursuance of subsection (3) of Section 8A of the said Act;

And, whereas, the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that it cannot be said that Shri Dharamvir has been found guilty of corrupt practice by an order under Section 99 because none of the corrupt practices as defined in Section 123 can be said to have been committed by him.

And, whereas, the Election Commission has further opined that the case of Shri Dharamvir does not fall within the purview of the Section 8A of the said Act. Consequently, Shri Dharamvir cannot be disqualified under Section 8A of the Representation of People Act, 1951.

The matter, therefore, stands disposed of.

PRESIDENT OF INDIA"

28th October, 1996.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM :

G.V.G. Krishnamurty, Election Commissioner. T. N. Seshan, Chief Election Commissioner. Dr. M. S. Gill, Election Commissioner.

Reference Case No. 3 (RPA) of 1996

[Reference from the President under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951]

In re : Disqualification of Shri Dharamvir, a former member of the Haryana Legislative Assembly.

OPINION

In this Reference from the President under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as '1951-Act'), opinion of the Election Commission has been sought on the question as to whether Shri Dharamvir, a former member of the Haryana Legislative Assembly whose election as member of the said Assembly at the general election held in 1987 had been set aside on the ground of commission of corrupt practice, should be disqualified and, if so, for what period under Section 8A(1) of the said Act.

2. The relevant facts, briefly stated, are as follows :—

(i) Shri Dharamvir contested the general election to the Haryana Legislative Assembly from 67-Tosham Assembly Constituency in June, 1987 and was declared elected to the said Legislative Assembly.

(ii) His election was challenged by three electors of the constituency in Election Petition No. 7 of 1987 before the Punjab and Haryana High Court. The High Court, by its order dated 02-06-1989, found Shri Dharamvir guilty of corrupt practices under sections 123(2) and 123(7) of the 1951-Act. The High Court held that Shri Dharamvir was guilty of commission of corrupt practice of undue influence under Section 123(2) by interfering with the free exercise of electoral rights of electors by tampering with the ballot papers cast in favour of his main rival Shri Bansi Lal during the process of counting. The High Court also held him guilty of corrupt practice under Section 123(7) of obtaining/procuring the assistance of Shri M. L. Sarwan, Returning Officer for the constituency by intimidating, manhandling, and physically assaulting him and making him reject the ballot papers cast in favour of Shri Bansi Lal which were tampered with by him (Shri Dharamvir) and his supporters. The High Court also held Shri Dharamvir to be disqualified, from seeking election for a period of six years from the date of its order (2nd June, 1989).

(iii) On appeal, the Supreme Court, by its interim order dated 25-07-1989 in Civil Appeal No. 2886 (NCE) of 1989, stayed the order of the High Court subject to the following :—

"Shri Dharamvir, the appellant whose election has been set aside, shall not exercise his right to vote in Assembly. He shall not participate in the discussion in the Assembly and shall not draw the emoluments payable to a member of the Assembly during the pendency of this appeal. He will however, be entitled to sign his attendance in the Assembly."

(iv) By its final order dated 06-02-1996, the Supreme Court dismissed the appeal of

Shri Dharamvir. However, while dismissing the appeal, the Supreme Court set aside that part of the High Court's order whereby the Court had held Shri Dharamvir to be disqualified for six years for contesting future elections. The Supreme Court observed that the question regarding the determination of disqualification was left to the President under Section 8A of the 1951-Act and the High Court was not justified in pronouncing on the matter. The Supreme Court also further held that Sections 123(2) and 123(7) of the said Act were inapplicable in the present case. The Supreme Court, however, found Shri Dharamvir guilty of corrupt practice and held that the High Court had rightly declared the election of Shri Dharamvir as void and liable to be set aside.

(v) Thereupon, the Secretary to the Haryana Legislative Assembly referred the case of Shri Dharamvir to the President on 19-03-1996 in terms of Section 8A(1) of the 1951-Act and the President has sought the opinion of the Commission under Section 8A(3) thereof.

3. In keeping with its practice in all such cases, the Commission afforded Shri Dharamvir an opportunity of being heard before formulating its opinion in the matter. Accordingly, a hearing was held on 29-03-1996. He was represented by Shri Kapil Sibal, learned Senior Counsel at that hearing. Shri Dharamvir also filed his written statement on 27-03-1996.

4. Shri Kapil Sibal, learned Senior Counsel, submitted that the Punjab and Haryana High Court had found Shri Dharamvir guilty of corrupt practices under Sections 123(2) and 123(7) of the 1951-Act. But the Supreme Court, he pointed out, in its final order dated 06-02-1996 had categorically held that Sections 123(2) and 123(7) were inapplicable in the present case of Shri Dharamvir. He contended that, by holding that sections 123(2) and 123(7) of the 1951-Act were not applicable in the present case, the Supreme Court had clearly set aside the findings of the High Court in so far as the commission of corrupt practices by Shri Dharamvir under the said Sections 123(2) and 123(7) was concerned. He referred to the following finding of the Supreme Court in the present case :

> "We also hold that the result of the election, so far as it concerned the appellant (Shri Dharamvir), has been materially affected by the improper rejection of the votes obtained by the fourth respondent Congress candidate, attracting Section 100(1)(d) of the Act. This is sufficient to hold that the appellant, the returned candidate has been guilty of corrupt practice, as rightly held by the High Court. In the circumstances, the election of the returned candidate, the appellant, was rightly held to be void and liable to be set aside. We uphold the conclusion of the High Court on this point and dismiss the appeal—C.A. No. 2886|NCE|1989, but on a different basis."

According to Shri Sibal, the Supreme Court by its above finding had declared the election of Shri Dharamvir void under Section 100(1)(d) of the 1951—Act, but had not found him guilty of corrupt practice within the meaning of Section 99 of that Act. For this proposition of law, he relied upon the decision of the Supreme Court in the case of S.B. Aditvan Vs. S. Kandeswamy (AIR 1958 SC 857).

7. Shri Kapil Sibal also informed the Commission that Shri Dharamvir had filed a review petition before the Supreme Court against its judgment and order dated 06-02-1996 and that the said review petition was pending before the Supreme Court. Shri Dharamvir had also mentioned this fact in his written statement.

8. In view of the pendency of the review petition before the Supreme Court which could have a vital bearing on the present reference before the Commission the Commission decided to wait for the decision of the Supreme Court on the said review petition. The Supreme Court has now informed the Commission by its letter No. 1208/96/Sec. XVII, dated 07|08-05-1996, that the above review petition of Shri Dharamvir has been dismissed by the Court on 24-04-1996.

9. On the dismissal of review petition of Shri Dharamvir, the Commission has now to consider and examine the above-mentioned submissions and contentions of Shri Kapil Sibal.

10. Section 8A(1) of the 1951-Act provides that :

> "The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under Section 99 shall be submitted . . . to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and, if so, for what period."

Under Section 8A(3) the President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question and act according to such opinion. Thus, the jurisdiction of the President and the Election Commission under Section 8A of the 1951-Act would arise if a person is "found guilty of a corrupt practice by an order under Section 99." The Supreme Court has held in the case of Aditvan (Supra), on which Shri Sibal placed heavy reliance, as follows :

> " . . . Section 99 does not purport to define a corrupt practice. The definition of the corrupt practice occurs in Section 123 and the corrupt practice mentioned in Section 99 has to be a corrupt practice as so defined (emphasis supplied). A corrupt practice committed with the consent of a candidate is not in itself a new kind of corrupt practice. When Section 99 talks of a corrupt

practice having been committed with the consent of a candidate it means a corrupt practice as defined in Section 123 having been committed, and a candidate having consented to its commission".

11. The question then arises as to whether Shri Dharamvir can be said to have committed in the present case any corrupt practice as defined in Section 123 so as to fall within the ambit of Section 99. Section 123 defines ten kinds of acts of commission and omission as corrupt practices for the purposes of the 1951-Act, namely, (i) Bribery [Section 123(1)]; (ii) Undue influence [Section 123(2)] (iii) Appeal on ground of religion, race, etc., [Section 423(3)] . (iv) Promotion of feelings of enmity or hatred between two different classes of Indian citizens on grounds of religion, race, etc., [Section 123(3A)]; (v) Propagation/glorification of the practice of sati-[Section 123(3B)]. (vi) Making a false statement in relation to personal character or conduct of any candidate [Section 123(4)]: (vii) Free conveyance of voters [Section 123(5)]: (viii) Incurring or authorising of expenditure in excess of prescribed limit [Section 123(6)]; (ix) Obtaining or procuring the assistance of Government servants [Section 123(7)] and (x) Booth capturing [Section 123(8)].

12. It is nobody's case that Shri Dharamvir committed any corrupt practice under Sections 123(1), 123(3), 123(3A), 123(3B), 123(4) 123(5) or 123(6). The High Court found Shri Dharamvir guilty of corrupt practices under Section 123(2) & 123(7). But the Supreme Court has held that these two sections are not applicable in the present case of Shri Dharamvir. The Supreme Court also further held that Section 123(8) is not attracted in the present case, as this Section defining the corrupt practice of booth capturing was inserted in the 1951-Act w.e.f. 15-3-89 whereas the impugned election took place in 1987.

13. In view of above, it cannot be said that Shri Dharamvir has been found guilty of corrupt practice by an order under Section 99, because none of the corrupt practices as defined in Section 123 can be said to have been committed by him. The only logical conclusion then is that the case of Shri Dharamvir does not fall within the purview of Section 8A of the 1951-Act Consequently, Shri Dharamvir cannot be disqualified under Section 8A of the 1951-Act.

14. Before parting with the case, the Commission cannot help expressing its deep anguish and utmost distress over the whole affair. The Commission would have liked Shri Dharamvir to be visited with the severest punishment for having indulged in most contemptible and reprehensible acts which subverted the whole democratic exercise and sullied the sublime purity and sanctity of the electoral process. He ought to have been given exemplary punishment and fully deserved to be disqualified for contesting all elections at least for six years. But it is highly regrettable that he has got soft-free because of a technical loophole in the law.

15. It was established and proved to the hilt before the High Court that Shri Dharamvir alongwith his agents fraudulently tampered with the ballot papers marked in favour of his main rival candidat so as to get those ballot papers rejected for such fraudulent tamperings and distort the electoral verdict. It was also established before the High Court that he along with his agents threatened and even physically assaulted the Returning Officer and intimidated him to such an extent that he (Returning Officer) agreed to do whatever was desired and demanded of him by the former. Thee Supreemee Court heeld on this point as follows :—

> "On the basis of the above finding, we hold that the various acts of hooliganism and other fraudulent and nefarious acts and activities, as alleged in the election petition, against the appellant have been been amply proved by the petitioners in the election petition. We rejel the plea to the contrary'.'

It is quite unfortunate that despite such severe indictment and castigation by the highest court of the land, the law as then obtaining provided Shri Dharamvir with an escape route for his, in the words of the Supreme Court, "acts of hooliganism and other fraudulent and nefarious acts and activities".

16. The Commission has taken note of the fact that the misdeeds of the nature proved against Shri Dharamvir are now liable to punishment under Section 123(8) and Section 135A of the 1951-Act, which have been brought on the statute book w.e.f. 15-3-1989. But this is poor consolidation. Had these provisions been in existence in 1987 the Commission would not have hesitated at all in imposing upon Shri Dharamvir the severest penalties permissible under the law.

17. Notwithstanding the fact that Shri Dharamvir cannot be said to have committed any corrupt practice as defined in Section 123 of the 1951-Act and within the meaning of Section 99 of that Act it cannot be gainsaid that by fraudulently tampering with the ballot papers as conclusively proved and established both before the High Court and the Supreme Court, Shri Dharamvir did indulge in the commission of electoral offences under clauses (c), (f) and (g) of sub-section (1) of section 136 of the said Act For facility of reference the above-mentioned provisions of law are reproduced as below :—

"136. Other offences and penalties therefor—(1) A person shall be guilty of electoral offence if at any election he— . . . .

(c) fraudulently defaces or fraudulently destroys any ballot paper or the official mark on any ballot paper or any declaration or identity or official envelop used in connection with voting by postal ballot . . . . .

(f) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot papers then in use for the purposes of the election; .....and

(g) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts or wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under this section shall . . . .

(b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both."

18. Apart from the above, Shri Dharamvir also indulged in the commission of criminal offences under the various provisions of Indian Penal Code, e.g., Section 182 (false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person), Section 186 (obstructing public servant in discharge of public functions), Section 189 (threat of injury to public servant). Section 192 (fabricating false evidence), etc., for having physically assaulted the Returning Officer, a public servant, and obstructing him in the discharge of his official duties by intimidation, coercion, etc.

19. The Commssion strongly recommends that immediate action be initiated against Shri Dharamvir, for the aforesaid electoral and criminal offences, by the State Government authorities concerned and the same be pursued to its logical conclusion so that it acts as severe deterrent to others not to indulge in such nefarious activities in future.

(G. V. G. KRISHNAMURTY)

ELECTION

COMMISSIONER

(T.N. SESHAN)

CHIEF ELECTION

COMMISSIONER

(DR. M. S. GILL)

ELECTION

COMMISSIONER

NEW DELHI,

dated : 4 June, 1996.

[No. 7(13)/96-Leg.II]

P. L. SAKARWAL, Jt. Secy.

2768 GI/96 —2

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996